



F- 07-08

F- 07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु- 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 912 का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment-cum-Renewal of Type Approval No.: 912
विषय/Sub: ग्रीस पेट्रोल रेसिस्टेंट (ग्रीस-बीयू)/
Grease Petrol Resistant (GREASE - BU)

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स मिनरल ऑइल कार्पोरेशन, सं.7/22-सी, तिलक नगर, कानपुर-208 002 द्वारा विकसित तथा उत्पादित "ग्रीस पेट्रोल रेसिस्टेंट (ग्रीस-बीयू)" को संदर्भ सं.: सेमिलैक/एफ-151/5070/ टीए- 912, दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.:912 जारी किया गया था। तदुपरान्त संदर्भ सं.: सेमिलैक/ 5070/ टीए- 912/3आर दिनांक 12 जुलाई 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "Grease Petrol Resistant (GREASE - BU)", developed and manufactured by M/s Mineral Oil Corporation, No.: 7/22-C, Tilak Nagar, Kanpur - 208 002, was issued with Type Approval No.: 912 vide Reference No.: CEMILAC/F-151/5070/TA-912, dated: 30th April 2001. This approval was Subsequently renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-912/3R, dated: 12th July 2013 with validity up to 30th June 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 नवंबर 2018** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 अक्टूबर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सेमिलैक,सूनाबेडा - 763 002, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2023, unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Koraput), CEMILAC, Sunabeda – 763 002, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.:सेमिलैक/एफ-151/5070/टीए-912, दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/F-151/5070/TA-912, dated: 30th April 2001 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी।यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-912/4R

दिनांक / Date: 09 November 2018

फैक्ससं / Fax No: 080-25230856

 



(पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)